

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
क्रमांक स्था./एच.ओ/स्थाना/अटैच/प्र.मु.प्र./लूज/2019-2020/70/37-43 दिनांक 21/1/2021

आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या 5608-33 दिनांक 15.05.2020 के द्वारा श्री रामनारायण मीणा, प्रहरी नं.2824 का केन्द्रीय कारागृह, अलवर से विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास, दौसा पर किया गया अटैचमेन्ट तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है। प्रहरी अपनी उपस्थिति मूल पदस्थापन केन्द्रीय कारागृह, अलवर पर प्रस्तुत करेंगे।

(आलोक कुमार विशिष्ट)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि अटैचमेन्ट कार्मिक को अविलम्ब मूल पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त करे तथा कार्मिक की मूल पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति रिपोर्ट अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवाये:-

1. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज जयपुर।
2. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, अलवर।
3. अधीक्षक, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, जयपुर।
4. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को वास्ते अपलोड हेतु।
5. संबंधित कर्मचारी को पालनार्थ।
6. रक्षक पत्रावली।


महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर